

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3460 /

जबलपुर, दिनांक 21/12/2020

II-13-9/2017

श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 22.01.18 से 10.02.18 तक 20 दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 11.02.18 से 15.02.18 तक 5 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 16.02.18 से 24.02.18 तक 9 दिन का असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) स्वीकृत किया जाता है।


 (प्रियदर्शन रावत)
 रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/3461 /

जबलपुर, दिनांक 21/12/2020

II-13-9/2017

प्रतिलिपि :-

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म०प्र०) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1326/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 06/03/2020 के संदर्भ में श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य का आवदन पत्र एवं सहपत्र तथा अवकाश लेखा मूलतः को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
 संलग्न :—उपरोक्तानुसार।
- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
- असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 (किशोर पिठवे)
 रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
